रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2000/आषाढ़ 14, 1922

No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2000/ASADHA 14, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 587(अ).—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये पहली जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 9 के उपनियम (2) में "एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रति वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रति वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[ए-11014/9/2000-ए.टी.]

आर.के. टंडन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी रूप में पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन का पुनरीक्षण करने का निश्चय किया है। अत: पश्चिमी बंगाल प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 को उस तारीख से प्रभावी रूप में भूतलक्षी रूप से संशोधित करना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्थापित संशोधन को भूतलक्षी प्रभावी देने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 875(ई) तारीख 21 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि 473(ई) तारीख 4 अगस्त, 1998 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2000

G.S.R. 587(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In rule 9 of the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994, in sub-rule (2), for the words "rupees one thousand four hundred and fifty per annum", the words "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service" shall be substituted.

[A-11014/9/2000-AT]

R.K. TANDON, Jt Secy

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of West Bengal Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 1996. It has, therefore, become necessary to amend the West Bengal Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1994 retrospectively with effect from the said date. It is certified that no one is being affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. G S.R 875(E) dated 21st December, 1994 and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 473(E) dated the 4th August, 1998

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054